

राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

1. अपील संख्या – 101/2013/जयपुर.

2. अपील संख्या – 102/2013/जयपुर.

सहायक आयुक्त, वृत्त-ई, जयपुर.

.....अपीलार्थी.

बनाम

मैसर्स वी-एक्सपो, 10/20, विद्याधर नगर, जयपुर.

.....प्रत्यर्थी.

एकलपीठ

श्री मनोहर पुरी, सदस्य

उपस्थित : :

श्री रामकरण सिंह,

उप-राजकीय अभिभाषक

.....अपीलार्थी की ओर से.

श्री एस. के. जैन, अधिकृत प्रतिनिधि

.....प्रत्यर्थी की ओर से.

निर्णय दिनांक : 14/12/2015

निर्णय

1. ये दो अपीलें अपीलार्थी राजस्व द्वारा उपायुक्त (अपील्स), तृतीय, वाणिज्यिक कर, जयपुर (जिसे आगे 'अपीलीय अधिकारी' कहा जायेगा) द्वारा अपील संख्या 256 व 257/अपील्स-तृतीय/11-12/ई में पारित पृथक-पृथक पारित किये गये आदेश दिनांक 24.07.2012 के विरुद्ध राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 (जिसे आगे 'वेट अधिनियम' कहा जायेगा) की धारा 83 के तहत पेश की गयी हैं।


2. दोनों अपीलों के पक्षकार, तथ्य व विवादित बिन्दु सदृश्य हैं। अतः दोनों अपीलों का निस्तारण संयुक्त निर्णय से किया जा रहा है। निर्णय की प्रति प्रत्येक पत्रावली पर पृथक-पृथक रखी जा रही है।

3. प्रकरणों के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि प्रत्यर्थी व्यवहारी द्वारा आलौच्य अवधियों वर्ष 2003-04 व 2004-05 के दौरान 'अगरबत्ती' का अन्तर्राज्यीय विक्रय 'सी' फॉर्म के समर्थन से 2 प्रतिशत की दर से कर वसूल करते हुए किया जाना दर्शाया गया। इसी प्रकार भारत के बाहर भी माल निर्यात किया जाना दर्शाया गया, किन्तु अन्तर्राज्यीय विक्रय से सम्बन्धित 'सी' फॉर्म एवं निर्यात से सम्बन्धित दस्तावेज पेश नहीं किये गये। अतः सहायक आयुक्त, वाणिज्यिक कर वृत्त-ई, जयपुर (जिसे आगे 'कर निर्धारण अधिकारी' कहा जायेगा) द्वारा अपीलार्थी व्यवहारी की आलौच्य अवधियों के कर निर्धारण आदेश क्रमशः दिनांक 06.03.2006 व 08.03.2007 अन्तर्गत केन्द्रीय बिक्री कर अधिनियम की धारा 9 के तहत पारित करते हुए घोषणा-पत्रों के अभाव में अन्तर कर तथा ब्याज का आरोपण किया गया। प्रत्यर्थी व्यवहारी द्वारा उक्त आदेशों को

लगातार.....2

संशोधित किये जाने हेतु संशोधन प्रार्थना-पत्र दिनांक 18.12.2007 व 20.12.2007 को प्रस्तुत किये गये। उक्त प्रार्थना-पत्र कर निर्धारण अधिकारी के आदेश दिनांक 08.04.2008 से अस्वीकार कर दिये गये। प्रत्यर्थी द्वारा पुनः प्रार्थना-पत्र दिनांक 18.12.2007 व 20.12.2007 का हवाला देते हुए प्रार्थना-पत्र दिनांक 22.09.2008 को प्रस्तुत किया गया। कर निर्धारण अधिकारी ने उक्त प्रार्थना-पत्रों का संयुक्त आदेश दिनांक 24.03.2009 से निस्तारण करते हुए प्रार्थना-पत्र अस्वीकार कर दिये। उक्त संशोधन आदेश दिनांक 24.03.2009 में पुनः दिनांक 22.05.2009 को संशोधन आदेश पारित किया गया, जो कि टंकण त्रुटि से सम्बन्धित था। तत्पश्चात प्रत्यर्थी व्यवहारी द्वारा पुनः संशोधन प्रार्थना-पत्र दिनांक 10.09.2009 प्रस्तुत किया गया। इस पर कर निर्धारण अधिकारी ने दोनों प्रकरणों में पृथक-पृथक संशोधन आदेश दिनांक 30.08.2010 पारित करते हुए, प्रत्यर्थी व्यवहारी के प्रार्थना-पत्र इस आधार पर अस्वीकार किये गये कि राज्य सरकार की अधिसूचना दिनांक 13.05.2008 से पूर्ववर्ती अधिसूचनायें दिनांक 16.04.2008, जिनके द्वारा अन्तर्राज्यीय व्यापार के दौरान 'सी' फॉर्म के बिना बिक्रीत माल पर राज्य में लागू कर दर से अधिक आरोपित करारोपण को अपलेखित किया गया है, को अतिष्ठित किये जाने के कारण प्रत्यर्थी व्यवहारी के प्रकरणों में अधिसूचना दिनांक 13.05.2008 प्रभावी मानते हुए पूर्व में आरोपित कर व ब्याज को यथावत रखा गया तथा प्रत्यर्थी व्यवहारी के संशोधन प्रार्थना-पत्र अस्वीकार किये गये। उक्त आदेशों के विरुद्ध प्रत्यर्थी व्यवहारी द्वारा प्रस्तुत की गयी अपीलें अपीलीय अधिकारी के पृथक-पृथक पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 24.07.2012 से इस आधार पर स्वीकार की गईं कि कर निर्धारण अधिकारी द्वारा antedated आदेश पारित किये गये हैं। अपीलीय अधिकारी के उक्त आदेशों से व्यथित होकर अपीलार्थी राजस्व द्वारा यह दोनों अपीलें प्रस्तुत की गयी हैं।

4. बहस के दौरान अपीलार्थी राजस्व के विद्वान उप-राजकीय अभिभाषक ने कथन किया कि कर निर्धारण अधिकारी द्वारा पारित समस्त आदेश रेकॉर्ड पर उपलब्ध हैं। मूल कर निर्धारण आदेश दिनांक 06.03.2006 व 08.03.2007 में संशोधन हेतु प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत किये गये हैं, जिनका निस्तारण कर निर्धारण अधिकारी द्वारा नियत समयावधि में किया गया है। संशोधन प्रार्थना-पत्रों के सन्दर्भ में प्रत्यर्थी व्यवहारी द्वारा पुनः संशोधन प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत किये गये हैं, जिनका भी नियत समयावधि में निस्तारण किया गया है। अन्तिम संशोधन आदेश दिनांक 30.08.2010 में राज्य सरकार की अधिसूचना दिनांक 16.04.2008 व 13.05.2008 को उद्धरित करते हुए विस्तृत निर्णय, प्रत्यर्थी व्यवहारी के



अधिकृत प्रतिनिधि की उपस्थिति में पारित किया गया है। इसके बावजूद अपीलीय अधिकारी द्वारा यह अवधारित किया जाना कि कर निर्धारण अधिकारी द्वारा antedated आदेश पारित किये गये हैं, तर्कसंगत व न्यायोचित नहीं हैं। कर निर्धारण अधिकारी द्वारा प्रत्यर्थी व्यवहारी को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान करने के उपरान्त तथा प्रत्यर्थी व्यवहारी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों के आधार पर ही नियमानुसार आदेश पारित किये गये हैं, जिसमें किसी प्रकार की विधिक त्रुटि नहीं की गयी है। अपीलीय अधिकारी ने प्रकरण के तथ्यों एवं विधिक प्रावधानों को नजरअंदाज करते हुए, प्रत्यर्थी व्यवहारी की अपीलें स्वीकार की गयी हैं। उक्त कथन के साथ विद्वान उप-राजकीय अभिभाषक ने राजस्व की अपीलें स्वीकार किये जाने पर बल दिया।

5. प्रत्यर्थी व्यवहारी के विद्वान अधिकृत प्रतिनिधि ने अपीलीय आदेशों का समर्थन करते हुए कथन किया कि कर निर्धारण अधिकारी द्वारा सभी आदेश प्रत्यर्थी व्यवहारी की अनुपस्थिति में पारित किये गये हैं। प्रत्यर्थी व्यवहारी को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान नहीं किया गया है। आदेश दिनांक 24.03.2009 में आदेश दिनांक 08.04.2008 का कोई हवाला नहीं दिया गया है। इससे यह स्पष्ट होता है कि आदेश दिनांक 06.03.2006 व 08.03.2007 antedated पारित किये गये हैं। अग्रिम कथन किया कि प्रत्यर्थी के प्रकरणों पर राज्य सरकार की अधिसूचना दिनांक 16.04.2008 लागू होती है, जिसके तहत दिनांक 13.05.2002 से 31.03.2007 के दौरान अन्तर्राज्यीय व्यापार के क्रम में बिना 'सी' फॉर्म समर्थित बिक्री पर राज्य में प्रचलित दर से अधिक करारोपण को अपलेखित किया गया है। अतः कर निर्धारण अधिकारी द्वारा राज्य में प्रचलित दर से अधिक आरोपित कर प्रथमतः ही अपास्तनीय है। उक्त कथन के साथ विद्वान अधिकृत प्रतिनिधि ने राजस्व की अपीलें अस्वीकार किये जाने पर बल दिया।

6. उभयपक्ष की बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावलियों का अवलोकन किया गया।

7. दोनों प्रकरणों में कर निर्धारण अधिकारी की पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि कर निर्धारण अधिकारी द्वारा प्रत्यर्थी व्यवहारी द्वारा उपलब्ध करवाये गये दस्तावेजों तथा बिक्री विवरण प्रपत्रों के अनुसार ही आलौच्य अवधियों के कर निर्धारण आदेश पारित किये गये हैं, जिनमें प्रत्यर्थी व्यवहारी द्वारा प्रस्तुत किये गये संशोधन प्रार्थना-पत्रों का नियत समयावधि में निस्तारण किया गया है। राज्य सरकार की अधिसूचना दिनांक 16.04.2008 व 13.05.2008

में दिये गये निर्देशों के अनुसार संशोधन प्रार्थना-पत्रों का निस्तारण किया गया है। आलौच्य अवधियों में प्रत्यर्थी व्यवहारी द्वारा अगरबत्ती का अन्तर्राज्यीय विक्रय बिना 'सी' फॉर्म के किया गया है, जिस पर 8 प्रतिशत की दर से अन्तर कर व ब्याज का आरोपण किया गया है। इस सम्बन्ध में राज्य सरकार की अधिसूचना दिनांक 16.04.2008 व 13.05.2008 का अवलोकन किया जाना समीचीन होगा, जो निम्न प्रकार है :-

क्रमांक : प.12(20)वित्त/कर/2005-पार्ट-ए दिनांक 16.04.2008

दिनांक 13 मई, 2002 से 25 सितम्बर, 2005 की अवधि में हुई, बिना C-Form समर्थित inter-state sales पर केन्द्रीय बिक्री कर अधिनियम, 1956 के अन्तर्गत राज्य दर से अधिक कर दायित्व अपलेखित किया जाता है।

क्रमांक : प.12(20)वित्त/कर/2005-पार्ट-बी दिनांक 16.04.2008

ऐसे व्यवहारी जो दिनांक 25 सितम्बर, 2005 और 31 मार्च, 2007 के बीच सी-फार्म नहीं जमा करवाये पाये, उन पर केन्द्रीय बिक्री कर अधिनियम, 1956 के अन्तर्गत राज्य की दर से अधिक किए गए करारोपण को अपलेखित किया जाता है।

क्रमांक : प.12(20)वित्त/कर/2005-पार्ट-सी दिनांक 13.05.2008

इस विभाग के आदेश क्रमांक प.12(20)वित्त/कर/2005-पार्ट-ए दिनांक 16 अप्रैल, 2008 को अतिष्ठित करते हुए दिनांक दिनांक 13 मई, 2002 से 25 सितम्बर, 2005 की अवधि में हुई, बिना C-Form समर्थित inter-state sales पर केन्द्रीय बिक्री कर अधिनियम, 1956 की धारा 8 की उप-धारा (5) के अन्तर्गत राज्य सरकार द्वारा बिना सी-फार्म निर्दिष्ट कर दर से अधिक करारोपण को अपलेखित किया जाता है।

क्रमांक : प.12(20)वित्त/कर/2005-पार्ट-डी दिनांक 13.05.2008

इस विभाग के आदेश क्रमांक प.12(20)वित्त/कर/2005-पार्ट-बी दिनांक 16 अप्रैल, 2008 को अतिष्ठित करते हुए दिनांक 26 सितम्बर, 2005 और 31 मार्च, 2007 के बीच केन्द्रीय बिक्री कर अधिनियम, 1956 के तहत, बिना C-Form समर्थित inter-state sales पर राजस्थान विक्रय कर अधिनियम, 1994/राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 के अन्तर्गत निर्दिष्ट कर दर से अधिक करारोपण को अपलेखित किया जाता है।

8. इसी प्रकार केन्द्रीय अधिनियम की धारा 8 निम्न प्रकार है :-

8. Rates of tax on sales in the course of inter-State trade or commerce-


लगातार.....5

- (1) Every dealer, who in the course of inter-state trade or commerce, sells to a registered dealer goods of the description referred to in sub-section (3), shall be liable to pay tax under this act which shall be four per cent of his turnover or at the rate applicable to the sale or purchase of such goods inside the appropriate state under the sales tax law of that State, whichever is lower. : Provided that the Central Government may, by notification in the Official Gazette, reduce the rate tax under this sub-section.
- (2) The tax payable by any dealer on his turnover insofar as the turnover or any part thereof relates to the sale of goods in the course of inter-State trade or commerce not falling within sub-section (1), shall be at the rate applicable to the sale or purchase of such goods inside the appropriate State under the sales tax law of that State.

Explanation - For the purposes of this sub-section, a dealer shall be deemed to be a dealer liable to pay tax under the sales tax law of the appropriate State, notwithstanding that he, in fact, may not be so liable under that law.

- (3) The goods referred to in clause (b) of sub-section (1) -
- (a) xxx
- (b) are goods of the class or classes specified in the certificate of registration of the registered dealer purchasing the goods as being intended for resale by him or subject to any rules made by the Central Government in this behalf, for use by him in the manufacture or processing of goods for sale or in the telecommunications network or in mining or in the generation or distribution of electricity or any other form of power ;
- (c) are containers or other materials specified in the certificate of registration of the registered dealer purchasing the goods, being containers or materials intended for being used for the packing of goods for sale;
- (d) are containers or other materials used for the packing of any goods or classes of goods specified in the certificate of registration referred to in clause (b) or for the packing of any containers or other materials specified in the certificate of registration referred to in clause (c).
- (4) The provisions of sub-section (1) shall not apply to any sale in the course of inter-State trade or commerce unless the dealer selling the goods furnishes to the prescribed authority in the prescribed manner a declaration duly filled and signed by the registered dealer to whom the goods are sold containing the prescribed particulars in a prescribed form obtained from the prescribed authority:

provided that the declarations furnished within the prescribed time or within such further time as that authority may, for sufficient cause, permit]



(5) Notwithstanding anything contained in this section, the State Government may on the fulfillment of the requirements laid down in sub-section (4) by the dealer if it is satisfied that it is necessary so to do in the public interest, by notification in the Official Gazette, and subject to such conditions as may be specified therein, direct,-

(a) that no tax under this Act shall be payable by any dealer having his place of business in the State in respect of the sales by him, in the course of inter-State trade or commerce, to a registered dealer or the Government from any such place of business of any such goods or classes of goods as may be specified in the notification, or that the tax on such sales shall be calculated at such lower rates than those specified in sub-section (1) or sub-section (2) as may be mentioned in the notification;

(b) that in respect of all sales of goods or sales of such classes of goods as may be specified in the notification, which are made, in the course of inter-State trade or commerce, to a registered dealer or the Government by any dealer having his place of business in the State or by any class of such dealers as may be specified in the notification to any person or to such class of persons as may be specified in the notification, no tax under this Act shall be payable or the tax on such sales shall be calculated at such lower rates than those specified in sub-section (1) or sub-section (2) as may be mentioned in the notification.

9. प्रत्यर्थी व्यवहारी के प्रकरण वर्ष 2003-04 व 2004-05 से सम्बन्धित हैं, जिन पर राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक-प.12(20)वित्त/कर/2005-पार्ट-सी दिनांक 13.05.2008 लागू होगी, ना कि प.12(20)वित्त/कर/2005-पार्ट-डी दिनांक 13.05.2008। अधिसूचना क्रमांक प.12(20)वित्त/कर/2005-पार्ट-सी दिनांक 13.05.2008 के द्वारा पूर्ववर्ती अधिसूचनाओं दिनांक 16.04.2008 पार्ट-ए को अतिष्ठित करते हुए, केन्द्रीय अधिनियम की धारा 8(5) के तहत निर्दिष्ट कर दर से राज्य में प्रचलित दर से अधिक किये गये करारोपण को अपलेखित किया गया है। प्रत्यर्थी व्यवहारी द्वारा आलौच्य अवधियों में अगरबत्ती का विक्रय किया गया है, जिस पर केन्द्रीय अधिनियम की धारा 8(5) के तहत कभी कोई कर दर निर्दिष्ट नहीं की जाने से अधिसूचना दिनांक 13.05.2008 के अनुसार अधिक आरोपित कर व ब्याज को अपलेखित नहीं किया गया है। कर निर्धारण अधिकारी ने अधिसूचना क्रमांक-प.12(20)वित्त/कर/2005-पार्ट-सी दिनांक 13.05.2008 के अनुसार ही आदेश पारित किया गया है, जिसमें किसी प्रकार की विधिक त्रुटि नहीं की गयी है। ऐसी स्थिति में प्रकरणों के गुणावगुण पर कर निर्धारण आदेशों में किसी प्रकार की त्रुटि कारित नहीं की गयी है।




10. जहां तक अपीलीय अधिकारी का यह मानना कि कर निर्धारण अधिकारी द्वारा antedated कर निर्धारण आदेश पारित किये गये हैं, रेकॉर्ड से प्रमाणित नहीं होते हैं। कर निर्धारण अधिकारी द्वारा पारित किये गये प्रत्येक आदेश का कर निर्धारण अधिकारी की पत्रावली में उल्लेख किया गया है। प्रत्येक आदेश के पश्चात प्रत्यर्थी व्यवहारी द्वारा संशोधन प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत किया गया है, जिसका कर निर्धारण अधिकारी द्वारा नियत समयावधि में निस्तारण किया गया है। ऐसी स्थिति में यह मानने का कोई आधार नहीं है कि कर निर्धारण अधिकारी द्वारा antedated आदेश पारित किये गये हैं। आदेश दिनांक 24.5.2009 एक संशोधन आदेश है, इसी प्रकार आदेश दिनांक 8.4.2008 भी एक संशोधन आदेश है। पश्चातवर्ती संशोधन आदेश में पूर्ववर्ती संशोधन आदेश का हवाला नहीं देने मात्र से यह नहीं माना जा सकता कि आदेश antedated पारित किया गया है। कर निर्धारण अधिकारी द्वारा पारित मूल आदेश दिनांक 06.03.2006 व 08.03.2007 प्रत्यर्थी व्यवहारी द्वारा उपलब्ध करवाये गये दस्तावेजों/बिक्री विवरण प्रपत्रों के आधार पर पारित किया गया है। 'सी' फॉर्म के अभाव में नियमानुसार अन्तर कर व ब्याज का आरोपण किया गया है। सभी संशोधन प्रार्थना-पत्रों का नियत समयावधि में विधि अनुसार निस्तारण किया गया है। विवादित संशोधित आदेश दिनांक 30.08.2010 भी राज्य सरकार की अधिसूचनाओं के आधार पर प्रत्यर्थी व्यवहारी के अधिकृत प्रतिनिधि की उपस्थिति में पारित किया गया है। ऐसी स्थिति में अपीलीय अधिकारी का यह कहना कि antedated आदेश पारित किये गये हैं, विधिसम्मत नहीं है एवं तथ्यात्मक दृष्टि से त्रुटिपूर्ण है।

11. उक्त विवेचन को दृष्टिगत रखते हुए कर निर्धारण अधिकारी द्वारा पारित आदेश दिनांक 06.03.2006 व 08.03.2007 सपठित संशोधन आदेश दिनांक 30.08.2010 में किसी प्रकार की तथ्यात्मक एवं विधिक त्रुटि नहीं होने से अपीलार्थी राजस्व द्वारा प्रस्तुत दोनों अपीलें स्वीकार किये जाने योग्य पायी जाती हैं तथा अपीलीय आदेश दिनांक 24.07.2012 अपास्त किये जाने योग्य पाये जाते हैं।

12. परिणामस्वरूप अपीलार्थी राजस्व द्वारा प्रस्तुत दोनों अपीलें स्वीकार की जाकर अपीलीय आदेश दिनांक 24.07.2012 अपास्त किये जाते हैं तथा कर निर्धारण अधिकारी के आदेश दिनांक 30.08.2010 की पुष्टि की जाती है।

13. निर्णय सुनाया गया।

 14.12.2015

(मनोहर पुरी)
सदस्य